



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
आयोग भवन, हरिद्वार-249404
Email ID : examoneukpsc@gmail.com

(01334) 244143

संख्या :117 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17

दिनांक : 05 जुलाई, 2019

निस्तारण आदेश

'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' के अन्तर्गत प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र (सामान्य शाखा) के सापेक्ष जारी की अनर्ह सूची/ज्ञाप संख्या: 91 / 60 / 01 / डी0आर (मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17 दिनांक 21 जून 2019 एवं वांछित अभिलेख प्राप्त किये जाने सम्बन्धी ज्ञाप संख्या: 90 / 60 / 01 / डी0आर (मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17 दिनांक 21 जून 2019 के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा दिनांक: 05 जुलाई, 2019 को लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नवत् निस्तारित किया जाता है-

प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र (सामान्य शाखा)

क्र0सं0	अनु0	अभ्यर्थी का नाम	निस्तारण आदेश
1	881083	KULDEEP PANDEY	विज्ञप्ति संख्या- 80 / 60 / 01 / डी0आर0 / मा0 शिक्षा / सेवा-1 / 2016-17, दिनांक 20 मई, 2019 के क्रम में अंतिम तिथि 04.06.2019 की सायं 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र अभिलेखों सहित जमा नहीं कराये गये हैं।
2	881408	GOVIND SINGH	अतः दिनांक: 05 जुलाई, 2019 को मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णय में विज्ञप्ति संख्या- 91 / 60 / 01 / डी0आर (मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17 दिनांक 21 जून 2019 के क्रम में अभ्यर्थीगण के प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्ह किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।
3	883990	BIMLA	
4	886779	SHAIENDRA PRASAD GAUR	
5	887194	LEELA BISHT	
6	881164	LALITA RAWAL	अभ्यर्थिनी ललिता रावल (अनुक्रमांक 881164), अभ्यर्थी प्रमोद कुमार (अनुक्रमांक 884952), मीनाक्षी (अनुक्रमांक 885521) के द्वारा एम0ए0 (राजनीति शास्त्र) एवं बी0एड0 उपाधि एक ही शैक्षणिक सत्र में धारित किये जाने के कारण विज्ञप्ति सं0 90 / 60 / 01 / डी0आर (मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17 दिनांक 21 जून 2019 के द्वारा उक्त अभ्यर्थीगण को दिनांक 01.07.2019 तक का समय प्रदान करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी से मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप पर उक्त शैक्षिक अर्हता की वैधता के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया
7	884952	PRAMOD KUMAR	
8	885521	MINAXI	

			<p>गया था। अभ्यर्थीगण द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त शैक्षिक अर्हता की वैधता के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त अभिलेखों में एम0ए0 (राजनीति शास्त्र) एवं बी0एड0 की शैक्षिक अर्हता एक ही वर्ष एवं सत्र में उत्तीर्ण होने का उल्लेख है। संबंधित विश्वविद्यालय के आयोग कार्यालय को प्रेषित पत्रांक-व्या0पाठ0/2015/1741, दिनांक 30.10.2015 में व्यक्तिगत एवं संस्थागत किसी भी रूप में परीक्षार्थी को एक अकादमिक सत्र में केवल एक ही उपाधि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त के दृष्टिगत मा0 आयोग द्वारा दिनांक: 05 जुलाई, 2019 को सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अभ्यर्थीगण का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।</p>
9	886741	RAJESH KUMAR	<p>अभ्यर्थी राजेश कुमार (अनुक्रमांक-886741) से विज्ञप्ति सं0 90/60/01/डी0आर (मा0शि0)/सेवा-1/ 2016-17 दिनांक 21 जून 2019 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 01.07.2019 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदनुक्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 20.09.2018 को आवेदन कर दिया गया था, परन्तु उन्हें अभी तक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अभ्यर्थी राजेश कुमार (अनुक्रमांक-886741) द्वारा अपने आवेदन-पत्र में उत्तराखण्ड राज्य सरकार में स्थायी कर्मचारी होने का दावा किया गया है, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य सरकार में स्थायी कर्मचारी नहीं है। प्रश्नगत पद के विज्ञापन के बिन्दु सं0 13 (3) में वर्णित है कि "साक्षात्कार से पूर्व/तत्समय आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा" के अनुपालन में मा0 आयोग द्वारा दिनांक: 05 जुलाई, 2019 को सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अभ्यर्थीगण का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।</p>

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।